

No. RK/FCA/ 10866

Forest Department, Himachal Pradesh

Dated J/Nagar, the/ 6-3-2025

From: DFO Joginder Nagar

To: CCF Mandi

Subject: Diversion of 2.27 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Banoun Kanchi se Gehra road (Kms. 0/0 to 4/00), within the jurisdiction of Jogindernagar Forest Division, Distt. Mandi, Himachal Pradesh. (online No. FP/HP/ROAD/32474/2018)

Memo;

Kindly refer to MOEF & CC (GOI) पत्र सं० 8बी / एच.पी. / 06/99/2019/एफ. सी./27 दिनांक 21/10/2020 whereby in-principle (State-I) approval has been accorded with conditions to compliance the following stipulations. In pursuance to the stage-I approval, user agency and forest department submit point wise compliance/reply of the stipulations along with requisite documents/undertakings as under:-

Sr. No.	Stipulation/Conditions	Reply/Compliance
1	वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
3	प्रतिपूरक वनीकरण: (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर प्रस्तावित वन भूमि के दुगुने वन भूमि पर अर्थात् 4.54 हे० DPF village Banar में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानिय स्वदेशी प्रजातियों का लगाया जाद तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचें।	इस विषय में सूचित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण ने प्रतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि Himachal Pradesh Gramin Bank के द्वारा से NEFT UTR No. PUNBD21043004872 dated 12.02.2021 के माध्यम से Challan No. Nil dated 11.02.2021 द्वारा Compensatory afforestation for Rs. 9,20,568/- only, Net Present Value for Rs. 14,91,390/- contingency @5% on CA amounting to Rs. 46,028/- only, Reclamation plan for Muck Dumping amounting to Rs. 63,342/- and Contingency @5% on

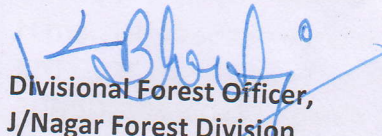
Sr. No.	Stipulation/Conditions	Reply/Compliance
		Reclamation Plan for Muck Dumping (14,91,390 + 9,20,568 + 46,028 + 63,342 + 3,167 = 25,24,495/- only) की राशि जमा करवा दी गई है (प्रतिलिपि साथ संलग्न है)
	(ख) राज्य प्रशासन द्वारा सी. ए. क्षेत्र के सही खसरा संख्या की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।	राज्य शासन / वन विभाग को संबंधित शर्त स्वीकार है।
	(ग) वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जाएगा कि उक्त सी. ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	वन विभाग को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा वन मण्डल अधिकारी द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र संलग्न है।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित एवं संधारित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।	प्रयोक्ता अभिकरण तथा वन विभाग को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
5	शुद्ध वर्तमान मूल्य (क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998 एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006-एफ. सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007- एफ. सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 2.27 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण तथा वन विभाग को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।

Sr. No.	Stipulation/Conditions	Reply/Compliance
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
6	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा I A No. 3840 in WP (c) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ. सी. ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई गई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिये जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाल स्वीकृति आदेश जारी करेगी।	वन विभाग/ प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी सं० प्रस्ताव के अनुसार 98 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन निगम के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन निगम के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
8	एफआए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न हैं

Sr. No.	Stipulation/Conditions	Reply/Compliance
11	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
12	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण ने प्रस्तुत किया है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार यह प्रस्तावना 5 हैक्टर से कम है। अतः इसमें स्वीकृति लेनी की आवश्यकता नहीं है। जिसकी प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
13	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
14	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
15	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
16	संबंधित प्रभागीय वनधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
17	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
18	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
19	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।

Sr. No.	Stipulation/Conditions	Reply/Compliance
20	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
21	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।
22	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) पर अपलोड की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण को संबंधित शर्त स्वीकार है तथा इसकी वचन बद्धता/शपथ पत्र की प्रतिलिपि वन मण्डल अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर के साथ संलग्न है।

It is, therefore requested that the necessary Stage-II approval may kindly be obtained from competent authority please..
Encl. As above.


Divisional Forest Officer,
J/Nagar Forest Division
Joginder Nagar, Distt. Mandi, H.P.
Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

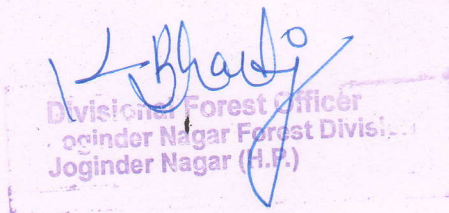
Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

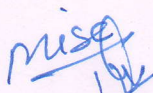
शपथ पत्र

शर्त संख्या 1

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	वन भूमि कि विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी	उक्त शर्त स्वीकार्य है ।


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.




10.3.25

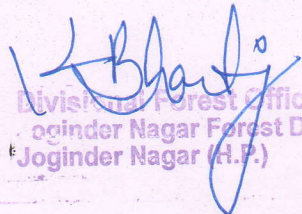
Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 2

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	उक्त शर्त स्वीकार्य है।


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.


Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchise Ghera Road KM 0/0 to 4/00

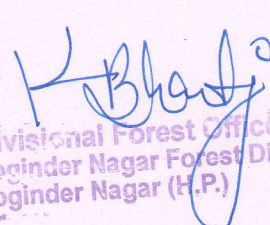
शपथ पत्र

3 (क)

प्रतिपूरक वनीकरण:-

वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन भूमि के दुगने वन भूमि पर अर्थात् 4.54 Hact D.P.F. Village banar में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लेटेशन से बचे।

1. प्रतिपूरक वनीकरण
(इस विषय में सूचित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण ने प्रतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि RTGS No. 406461 Dated 11.02.2021 को UTR No. PUNBD21043004872 dated 12.02.2021 के माध्यम से Challan No. Nil dated 11.02.2021 द्वारा Compensatory afforestation for Rs. 9,20,568/- only, Net Present Value for Rs. 14,91,390/- contingency @5% on CA amounting to Rs. 46,028/- only, Reclamation plan for Muck Dumping amounting to Rs. 63,342/- and Contingency @5% on Reclamation Plan for Muck Dumping (14,91,390 + 9,20,568 + 46,028 + 63,342 + 3,167 = 25,24,495/- only) की राशि जमा करवा दी गई है।


Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

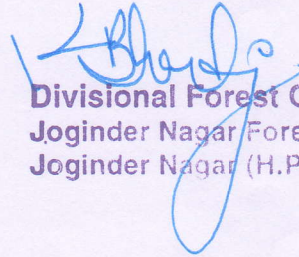

Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.

**Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of
Banoun Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00**

शपथ पत्र / Undertaking

शर्त संख्या

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	राज्य शासन द्वारा अनुपालना रिपोर्ट
3. (ख)	राज्य शासन द्वारा सी. ए. क्षेत्र की सही खसरा की जानकारी प्रस्तुत की जाएगी।	राज्य शासन / वन विभाग को संबंधित शर्त स्वीकार है


Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

शपथ पत्र / Undertaking

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त	राज्य शासन द्वारा अनुपालना रिपोर्ट
3. (ग)	वन मण्डल अधिकारी द्वारा अतिरिक्त प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि उक्त सी.ए. क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।	शर्त के अनुसार वन मण्डल अधिकारी द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र निचे प्रस्तुत है।

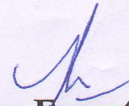
CERTIFICATE

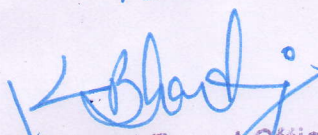
Subject : Diversion of 2.27 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of Banoun Kanchi se Gehra raod (Kms. 0/0 to 4/00), within the jurisdiction of Jogindernagar Forest Division, Distt. Mandi Himachal Pradesh, (Online No. FP/HP/ROAD/32474/2018)

It is, certified that there was no tree plantation carried out earlier under any other scheme in Forest Land to the extent of 4.54 ha. proposed for compensatory afforestation in DPF Village Banar , Joginder Nagar Range, Compartment/Survey No. 53D/16 of Joginder Nagar Forest Division in lieu of proposed diversion of 2.27 ha. of forest Land against the subject cited proposal.

Date : 24.02.2025

Place : Joginder Nagar


Range Officer
Forest Range Joginder Nagar
Joginder Nagar Forest Range

C/S

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

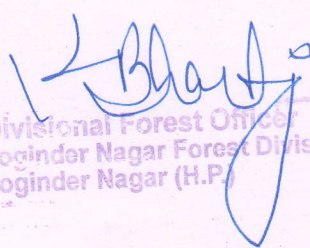
शपथ पत्र

शर्त संख्या 4

प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमाकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।

वन विभाग द्वारा दिये गये बिल के अनुसार प्रतिपूरक पौधरोपण से सम्बन्धित प्रस्तावना में कुल अनुमोदित राशि रु0 25,24,495/- /- है, जिसमें से प्रतिपूरक पौधरोपण राशि रु0 9,20,568/- को कैम्पा मे जमा कर दिया गया है तथा मु0रु0 1,80,793 /- विभागीय चार्जस को सरकारी खजाने में जमा कर दिये गये हैं।


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.


Divisional Forest Officer,
Joginder Nagar Forest Division,
Joginder Nagar (H.P.)

Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 5(क)

शुद्ध वर्तमान मूल्य

इस सम्बंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(c) संख्या: 202/1995 में नंबर IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5-1/1998-एफ.सी. (pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5-2/2006- एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5-3/2007 एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशा निर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 1.3405 हे० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि मु० रू० **14,91,390/-** जमा करवा दी गई है व इस राशि को **Adhoc CAMPA** में जमा करवा दिया गया है जो संलग्न है।

Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.

12 Bhadi
Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

Himachal Pradesh
Public Works Department

No PW. MDII GA-Forest Case/Payment - 2021:-

To

21738-40 Dated: 25

The Divisional Forest Officer,
Forest Division Jogindernagar,
Distt. Mandi (H.P.).

Subject:- Diversion of 2.27 hectare of forest land for construction of 1 m road from Banoun Kenchi Se Gahra Km. 0/0 to 4/0 falls under jurisdiction of Tehsil Jogindernagar Distt. Mandi (HP).

Reference:- Your office letter No. RK/FCA/8128 dated 07.01.2021.
Sir,

Please refer to your office letter under reference on the subject cited above. In this regard, the detail of payment deposited by this department and hard copy of the same is being forwarded to your good office for ready reference and final approval of the above mentioned proposal.

The detail of the payments is made given as under:-

1. The Payment of Rs. 25,24,495/- (Rupees Twenty Five Lacs Twenty Four Thousand Four Hundred & Ninty Five Only) on account of NPV in the name of H.P. CAMPA through NEFT UTR No. PUNBD21043004872 has been made on 12-02-2021 on account of CA & NPV as demanded by your office vide letter No. RK/FCA/5672 Dated 30.10.2020

2. The Payment of Rs. 1, 80,793/- (One Lac Eighty Thousand Seven Hundred Ninty Three Only) vide Draft No. 085107 Dated 19-02-2021 have been made on account of Departmental Charges as demanded by your office vide letter No. RK/FCA/5672 Dated 30.10.2020.

It is therefore requested that the final approval of above said road may kindly be arranged at the earliest under intimation to this office.

Encl: As above

Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
HPPWD, Mandi.

Copy to the Superintending Engineer, 1st Circle, HPPWD Mandi for kind information please.

Copy to Assistant Engineer, Kotli Sub Division, HPPWD, Kotli for information and necessary action. He is requested to take-up the matter in above office for final approval.

Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
HPPWD, Mandi.



HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK

Sponsored by: Punjab National Bank
Head Office: Jail Road Mandi HP



To
The Assistant Engineer,
S & R Sub Division
HP PWD Kotli.

SUBJECT: PAYMENT DETAIL.

Sir,

Refer to Pay order No. MH120220211001 dated 12-02-2021 amount of Rs 25,24,495/- (Rupees Twenty five lakh twenty four thousand four hundred ninety five only) has been transferred in the name of Himachal Pradesh Campa, account No. 150706132474605, IFSC code- CORP0000371 on dated 12-02-2021 vide NEFT UTR No. PUNBD21043004872.

Regards,

Branch Manager
For HIMACHAL PRADESH GRAMIN BANK
Kotli
Branch Kotli

Manager

12/02/2021

District Mandi HP



Signature: Assistant Engineer, South Sea Islands, of P.M.S. South
 Date: 1914

is subject to following conditions

1994

11-11-11

Part Code of
Data

100

1999

100

1990



10

1944, 1945, 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625,

Figure 11

1984

Twenty five less Twenty four Thousand four hundred & ninety five only.

Assistant Engineer
West Sub-Division
H. P. AULD, Kew

Sub-Division
J.W.D. Kell

Sub Treasury Note
Token No. - 246 -
Date - 11-2-2021

NEFT/RTGS CHALLAN

AGENCY COPY

NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date: 11-02-2021

Agency Name:	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6132474605
MoEF/SG File No.	8B/HP/06/99/2019/FC
Location:	HIMACHAL PRADESH
Address:	Engineer-in-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla Shimla
Amount(In Rs)	2524495/-

Amount in Words: Twenty-Five Lakh Twenty-Four Thousand
Four Hundred and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details:

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150706132474605 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

NEFT/RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date: 11-02-2021

Agency Name:	HIMACHAL PRADESH PUBLIC WORK DEPARTMENT
Application No.	6132474605
MoEF/SG File No.	8B/HP/06/99/2019/FC
Location:	HIMACHAL PRADESH
Address:	Engineer-in-Chief HPPWD Nirman Bhawan Nigam Vihar Shimla Shimla
Amount(In Rs)	2524495/-

Amount in Words: Twenty-Five Lakh Twenty-Four Thousand
Four Hundred and Ninety-Five Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following
details:

Beneficiary Name:	HIMACHAL PRADESH CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150706132474605 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making
payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through
skcampa@corpbank.co.in

Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शर्त संख्या 5(ख)

UNDERTAKING FOR PAYMENT OF ADDITIONAL NET PRESENT VALUE OF
FOREST AREA

It is to certify that I / We Executive Engineer, Mandi
Division No.II, HPPWD Mandi have applied for diversion of 2.27Hectare of
forest area for the purpose of Banoun Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00. I /
We hereby undertake, to pay the net present value (NPV) of the above forest
land. I also undertake to pay the differential NPV if decided by Hon'ble
Supreme Court of India at later stage.

Date:-


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
Signature of User Agency

Place:-

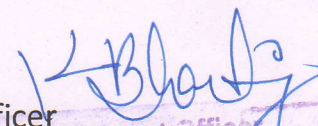
Office Seal

Countersigned by:-

Divisional Forest Officer

.....Forest Division

Office Seal

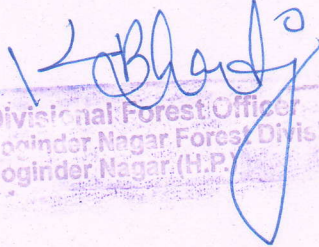

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

**UNDERTAKING FOR PAYMENT OF ADDITIONAL COST OF COMPENSATORY
AFFORESTATION**

I / We Executive Engineer, Mandi Division No.II, HPPWD
Mandi hereby undertake to pay the entire amount for compensatory
afforestation in lieu of the forest area diverted for **Banoun Kanchi se Ghera**
Road KM 0/0 to 4/00 as per the prevailing wage rates at the time of
undertaking the plantation activities.


Executive Engineer
Signature of User Agency
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.
Office Seal


Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Divis.
Joginder Nagar (H.P.)

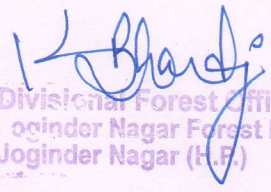
Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 6

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in wp (c) No. 202/1995 में वर्तमान में एफ.सी.ए. के तहत भूमि के प्रत्यावर्तन पर रोक लगाई है। अतः राज्य सरकार मा. उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा इस निर्णय लिए जाने के उपरान्त ही तदनुसार अपने स्तर पर भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु जारी किए जाने वाले स्वीकृत आदेश जारी करेगी।	उक्त शर्त स्वीकार्य है ॥


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.

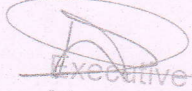

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.F.)

Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 7

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 98 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	उक्त शर्त स्वीकार्य है।


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.

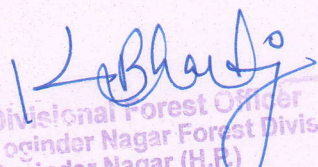

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 8

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	ऐफ.आर.ए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित: जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा ।	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है ।


Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi,

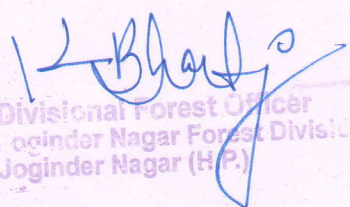
Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 9

परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रस्तावना से सम्बन्धित धन राशि केवल ई-पोर्टल (https://parivesh-nic.in) के माध्यम से ही जमा करवाये गये है।
---	--


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.


Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शर्त संख्या 10

UNDERTAKING FOR STRIP PLANTATION ON BOTH SIDES OF THE ROAD

It is to certify that I, Executive Engineer, Mandi Division No. II, HPPWD Mandi have applied for Diversion of 2.27 Hectare of forest land in favour of HPPWD for Construction of Banoun Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00. I, do hereby undertake, that on possible spots of both sides of the road, strip plantation will be done by the Department on own expenditure under the supervision of Forest Department.


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.

Signature of User Agency

Office Seal


Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 11

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाए जायेंगे ।	उक्त शर्त की अनुपालना की जाएगी ।


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.


Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

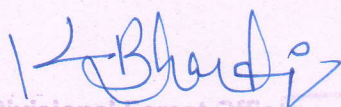
Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 12

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोग कर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार यह प्रस्तावना 5 हैक्टर से कम है। अतः इसमें स्वीकृति लेनी की आवश्यकता नहीं है।
--	---


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.


Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

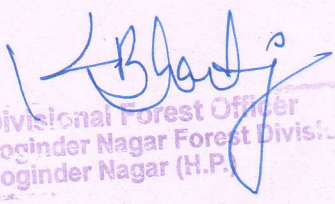
Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 13

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	केंद्र सरकार कि पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले -आउट प्लान नहीं बदला जायगा ।	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है ।


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.

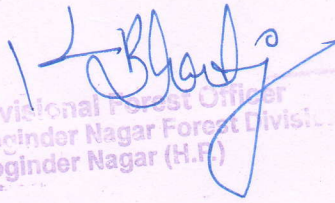

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 14

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	वन एवमं आस पास कि भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही किया जायगा ।	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है ।


Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.F.)


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.

Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 15

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायगा।	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है।

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

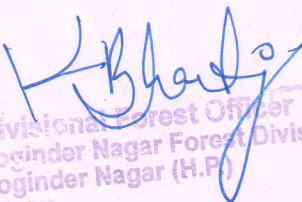
Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.

Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 16

संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन अधिकारी के निर्देशानुसार वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा जिसका व्यय प्रयोक्ता अधिकरण अपने स्तर पर खर्च करेगा। जिसकी बचन वधता साथ संलग्न है।
---	--


Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

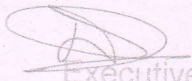

Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.

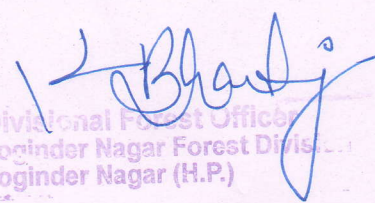
Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 17

परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अंदर कोई नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा। जिसकी बचन वधता साथ संलग्न है।
---	--


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.


Divisional Forest Officer,
Joginder Nagar Forest Division,
Joginder Nagar (H.P.)

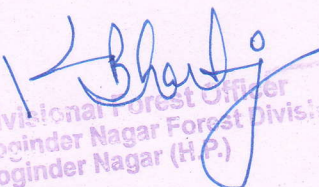
Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 18

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायगा।	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है।


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.


Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

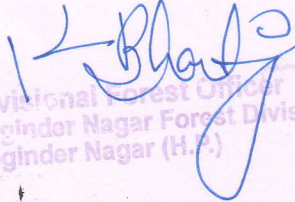
Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 19

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	केंद्र सरकार कि पूर्वानुमिति के बिना प्रत्ययावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं कि जाएगी ।	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है ।


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.

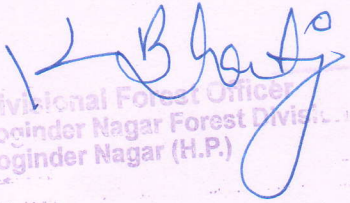

Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 20

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविदरिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गीर । राज्य के वन विभाग के पार्यवेक्षण में तथा परियोजना कि लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पोधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायगा । मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायांगी । निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सोपने से पूर्व , इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबध तरीके से पूरा किया जायगा । मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों कि कटाई कि अनुमिति नहीं होगी ।	हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को ये शर्त मंजूर है ।


Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.

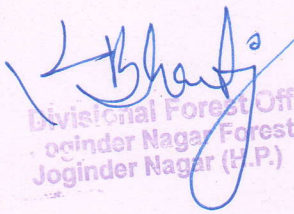
Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 21

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उतर
1	यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद नियम/नयायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होत है तो उन के अधिन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार /प्रयोक्ता एजेसी की जिम्मेवारी होगी।	इस शर्त के सम्बन्ध में उच्च कार्यालय द्वारा जो भी दिशा निर्देश प्राप्त होंगे उनकी अनुपालना कड़ाई से की जाएगी।


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.


Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)

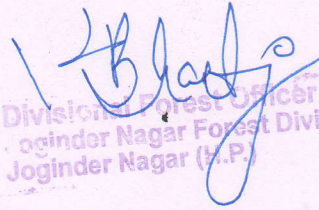
Proposal Name: Diversion of 2.27 Hectare of forest land for the construction of Banoun
Kanchi se Ghera Road KM 0/0 to 4/00

शपथ पत्र

शर्त संख्या 22

क्र. सं.	सैधान्तिक स्वीकृति की शर्तें	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उत्तर
1	अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालना रिपोर्ट ई पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी।


Executive Engineer,
Mandi Division No-II,
H.P.P.W.D. Mandi.


Divisional Forest Officer
Joginder Nagar Forest Division
Joginder Nagar (H.P.)